

औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र
बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15(च)(iii) के अन्तर्गत
निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना का कार्यालय।

प्रेषक,

सेवा में,

निदेशक,
राज्य अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना ।

अभय नाथ झा,
अभिषेक झा,
आदित्य नाथ झा

संदर्भ :- क्रमांक...1973..... दिनांक...04/06/2022

आवेदनकर्ता मे० वास्तुविद, सुधेन्द्र रंजन (विशिष्ट आई.डी.नं० CA/2005/37011)

विषय :- भवन निर्माण के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत ।
महाराष्ट्र,

राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के द्वारा गठित अग्नि सुरक्षा एवं निवारण स्कंध (FSPW) की संतुष्टि के उपरान्त व उक्त समिति में शामिल विशेषज्ञों की अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माणकर्ता मे० अभय नाथ झा के द्वारा प्रस्तावित भवन/ब्लॉक का निर्माण हेतु बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15(च)(iii) के अंतर्गत औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ।

प्रस्तावित भवन योजना से संबंधित भवन का नाम श्री अभय नाथ झा, अभिषेक झा, आदित्य नाथ झा, पिता-श्री वैद्यनाथ झा, खेसरा नं०-670K-GH & CH, खाता नं०-411, थाना-बरारी, मौजा-बरारी, जिला-भागलपुर अधिभोग आवासीय उप श्रेणी आवासीय भवन की ऊँचाई 17.95 (मीटर में) फर्श क्षेत्र 3886.16 वर्गमीटर, भवन के तलों की संख्या 5, तलघर की संख्या शून्य, स्लिट/भूतल की संख्या 1, भवन के ब्लॉक की संख्या 2, प्रत्येक मंजिल का औसत अधिभोग भार 40, लिफ्ट की संख्या 2, फायर लिफ्ट की संख्या 2, रैम्प की संख्या 1, आपातकालीन शरण स्थल (रिफ्यूजी एरिया) की संख्या शून्य, फायर टावर की संख्या 1 है। राष्ट्रीय भवन संहिता के दिशा-निर्देश, स्थानीय भवन नियमावली एवं स्थानीय परिस्थिति के आधार पर निम्नलिखित सलाह/अनुशंसा के साथ भवन निर्माण योजना की स्वीकृति दी जाती है, जिसका अनुपालन संबंधित वास्तुविद/भवन निर्माणकर्ता/भू-स्वामी के द्वारा किया जाएगा।

भवन योजना पर प्रतिहस्ताक्षर के बाद आपके अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाता है :-

(1) भवन निर्माणकर्ता द्वारा भवन के लिए खुली जगह (मीटर) (उत्तर 6.5 मी०, दक्षिण 4.5 मी०, पूर्व 4.5 मी०, पश्चिम 4.5 मी०) एवं पलायन के साधन (आंतरिक सीढ़ियों की संख्या 2, चौड़ाई 2.45, 2.75 (मीटर)/बाह्य सीढ़ियों की संख्या 2, चौड़ाई 2.45, 2.75 (मीटर) प्रस्तावित किया गया है।

(2) खुला स्थान एवं पहुँच-

(क) भवन के चारों तरफ तत्समय प्रवृत्त भवन उपविधि एवं अन्य तत्संबंधी अधिनियम/नियम/विनियमन/स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खुला स्थान होगा एवं अग्निशमन दस्ते के पहुँच एवं घुमाने के लिए न्यूनतम 3.60 मीटर जगह (भवन श्रेणी एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय) छोड़ा जाना चाहिए ।

(ख) भवन का पहुँच पथ मजबूत एवं चौड़ी हो जो 20 मिट्टिक टन अग्निशमनक वाहन का भार आसानी से सहन कर सके।

(ग) भवन के प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.5 मीटर एवं ऊँचाई 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(3) बनावट :-

(क) प्रस्तावित भवन का पूरा निर्माण अनुमोदित योजना के अनुसार बिहार भवन उपविधि, 2014 समय-समय पर यथा संशोधित तथा स्थानीय नगर निकाय के भवन संबंधी नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।



(ख) भवन का फर्श क्षेत्र 750 वर्गमीटर से अधिक होने की स्थिति में अलग-अलग दरियों से उचित रूप से छत तक बँटा जाएगा, जिसमें कम से कम दो घंटे तक अग्नि प्रतिरोधक क्षमता होगा।

(ग) भवन की आंतरिक सजावट अग्नि फैलाव निरोधक सामग्री से बना हुआ आई0एस0 गुण स्तर का होगा।

(घ) भवन के केन्द्रीय कोर डक्ट का crown के पास वेन्टीलेशन का प्रावधान होगा। सभी उच्च डक्ट का सीढ़ी पर्याप्त अग्नि निरोधक क्षमता के सामग्री से करने का व्यवस्था करना होगा।

(4) सीढ़ी :-

(क) भवन का सीढ़ी बंद प्रकार का होगा। पूरे भवन निर्माण कार्य ईट/आर.सी.सी. से न्यूनतम 04 घंटे के अग्नि प्रतिरोधक क्षमता का होगा।

(ख) भवन का सीढ़ी के उपरी भाग में स्थायी भेंट होगा जो सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन एरिया का 05 प्रतिशत होगा। साथ ही सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का 15 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर प्रत्येक मंजिल के स्तर पर खुलने योग्य Sashes होगा। यह भवन के बाहरी दीवार पर प्रदान किया जाएगा।

(ग) भवन के सभी सीढ़ियों का निर्माण कमरे से अलग होगा एवं किसी भी कमरे में प्रवेश किये बिना हर मंजिल पर एक दूसरे से परगम्य होगा, जिसे संबंधित छत के लेवल तक बढ़ाया जाएगा। सीढ़ी वाली दीवार की छत आस-पास की छत के क्षेत्र से 1 मीटर ऊपर होगी।

(घ) विभिन्न श्रेणी के भवनों में सीढ़ी की चौड़ाई तथा कोरिडोर एवं यात्रा दूरी संबंधित भवन नियमों के अनुसार होगा।

(ङ) दो सीढ़ी के मामले में एक सीढ़ी बाहरी दीवार से होनी चाहिए।

(च) तलघर तक पहुँच के लिए दोनों सीढ़ी तलघर मंजिल तक नहीं जाना चाहिए। पहुँच के लिए एक अलग सीढ़ी होगा।

(5) अग्नि सुरक्षा प्रणाली :- राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा उपायों के प्रावधान के साथ अनुमोदित भवन योजना अग्रसारित किया जाता है:-

(क) होज रील

(ख) वेट राईजर-सह-डाउन कमर सिस्टम (10 अदद)

(ग) यार्ड हाईड्रेंट सिस्टम

(घ) हस्तचालित विद्युत अग्नि एलार्म सिस्टम

(ङ) पूरे भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम

(च) स्प्रिंकलर सिस्टम (आवश्यकतानुसार)

(छ) भूतल स्टैटिक टैंक की क्षमता 50000 लीटर

(ज) ओवर हेड वाटर टैंक 40000 लीटर क्षमता

(झ) एक पम्प हाउस 4560 एल.पी.एम. इलेक्ट्रिक एवं डीजल, 360 एल.पी.एम. जॉकी पम्प, 450 एल.पी.एम. बूस्टर पम्प

(ञ) फायर एक्सटींग्यूअर

(6) संबंधित अधिनियम/नियम/विनियमन जैसे- बिहार भवन उपविधि, 2014, समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित बहुमंजिली भवन निर्माण विनियम, 1981, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 में संबंधित अधिभाग के लिए वांछित अन्य शर्तों का पालन किया जाएगा। कुछ शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

(क) लिफ्ट :-

(i) भवन का लिफ्ट की दीवार न्यूनतम 02 घंटे का अग्नि निरोधक क्षमता का होगा।

(ii) भवन का लिफ्ट उच्च गति "फायर लिफ्ट" पर डिजाइन की जाएगी और योजना में स्पष्ट रूप से चिन्हित होगा।

(iii) सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में, स्वचालित वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अपार्टमेंट भवनों के लिए विद्युत आपूर्ति में परिवर्तन हेतु हस्ताचालित परिवर्तनीय स्वीच के माध्यम से यह व्यवस्था किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से लिफ्ट इस तरह से वायर्ड होगा कि बिजली की विफलता की स्थिति में भी यह जमीन स्तर तक आयेगा एवं दरवाजा आसानी से खुल सकेगा।

(iv) आग लगने की स्थिति में प्रति घंटा 30 बार हवा परिवर्तन करने हेतु स्मोक वेस्टिंग सिस्टम का समावेश सभी लिफ्ट सॉफ्ट में कर धुँआ निकासी हेतु व्यवस्था की जाएगी। यह इस प्रकार का डिजाइन किया जाएगा कि स्प्रिंकलर एवं फायर एलार्म क्रियाशील हो सके। सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में यह स्वचालित रूप से वैकल्पिक आपूर्ति के लिए कार्य करेगा।

(v) अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ लिफ्ट का संचार व्यवस्था बनाये रखने सहित अन्य सभी आवश्यकताएँ आई0 एस0 गुण स्तर के अनुरूप करना होगा, जिसमें भवन के लिफ्ट कार, अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जिससे संचार व्यवस्था चनी रहे।

(vi) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित से संबंधित प्रावधानों का पालन करते हुए फायर लिफ्ट होना चाहिए जैसे 1200 वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र के लिए एक फायर लिफ्ट होना चाहिए।

(ख) भवन में सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसे प्रत्येक मंजिल पर लैण्डिंग भल्व के साथ डाउन कमर सिस्टम एवं होज रील, छत स्तर पर 900 एल0पी0एम0 पम्प के साथ होगा। आई0 एस0 2190/1992 तथा संबंधित विशिष्टियों का आई0एस0आई0 मार्कड अग्निशामन यंत्र, फायर चेक, दरवाजा, हस्ताचालित कॉल अलार्म प्वाइन्ट, अग्नि सुरक्षा चमकीला संकेत एवं भवन निर्माण संहिता के अनुसार अन्य अग्नि निरोध उपाय किये जायेंगे।

(ग) तलघर में स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए एवं दो अलग-अलग निकास द्वार होना चाहिए।

(घ) भूतल जल स्टैटिक टैंक (20,000 लीटर से कम क्षमता का नहीं) स्वचालित रिफिलिंग की व्यवस्था के साथ हो, जहाँ अग्निशामक वाहन आसानी से पहुँच सके। ओवर हेड वाटर स्टैटिक टैंक (10,000 लीटर क्षमता से कम नहीं) अधिवास के पूर्व हो जाना चाहिए।

(ङ) भवन के प्रत्येक मंजिल पर विद्युत केबुल सील होनी चाहिए।

(च) भवन का कम्पार्टमेंटेशन इस प्रकार होगा कि आग एवं धुँआ उसी क्षेत्र में सीमित रहेगा जहाँ अग्निकांड हुआ है तथा भवन के अन्य भागों में नहीं फैले।

(छ) भवन के अलगाव दीवार एवं फ्लोर में खुला स्थान - ऐसे सभी प्रकार के तथ्यों पर ध्यान देना होगा जो आग एवं धुँआ के फैलाव को इन खुला स्थानों में प्रवेश को सीमित कर सके और बनावट का फायर रेटिंग बरकरार रह सके। सभी दीवार में खुला स्थान न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग के अग्नि निरोधक दरवाजा से सुरक्षित रहेगा। मंजिलों में सभी खुला स्थान vertical enclosure से सुरक्षित रहेगा एवं ऐसे enclosure का दीवार न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग का होगा।

(ज) मंजिलों के प्रत्येक vertical openings यथोचित रूप से बंद एवं सुरक्षित रहेगा तथा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जाएगी :-

(i) पलायन के रास्ता का प्रयोग करते वक़्त अधिवासियों को मंजिल दर मंजिल खुले स्थान से आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए प्रर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिवासियों के निकासी मार्ग में कम से कम 21 मिली मीटर का उपरी भाग खुला हो।

(ii) दो घंटे की फायर रेटिंग का अग्नि दरवाजा बाहर भागने/निकलने के रास्ते एवं लिफ्ट में प्रवेश के रास्ते तथा सीढ़ी पर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए दिया जाएगा।

(iii) निकासी मार्ग का सुरक्षित प्रयोग हेतु स्मोक वेन्टिंग सुविधा प्रदान किया जाएगा।

(iv) आंतरिक सजावट से जहरीला धुँआ के उत्पन्न होने से बचाने हेतु धुँआ निरोधी सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा।

(v) भवन के निकासी मार्ग (सीढ़ी एवं कोरिडोर) का रौशनीकरण/सीढ़ियों का प्रेसराइजेशन/ तलघर का वेन्टिलेशन राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार करना होगा।

(vi) एयर कंडिशनिंग एवं वेटिलेशन सिस्टम को इस प्रकार अधिष्ठापित किया जाएगा, जिससे आग एवं धुँआ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर और भवन से बाहर नहीं फैल सके। एयर फिल्टर में आग लगने पर धुँआ

॥

को फैलने से बचाने के लिए स्मोक सेन्सिटिव डिवाइस भवन में होना चाहिए। प्रत्येक तल पर आग और धुँए के हजार्ड से बचाने के लिए प्रत्येक तल पर अलग-अलग एयर हैंडलिंग यूनिट होना चाहिए। फायर डंपर्स को ए0सी0 सिस्टम में प्रदान किया जाएगा, ताकि आग की स्थिति में स्वचालित रूप से बंद हो सकें और इस तरह अग्नि/धुँआ का फैलाव रोका जा सके।

(vii) विद्युत अधिष्ठापन- विद्युत सुरक्षा भारतीय विद्युत नियमावली एवं संबंधित आई0एस0/संहिता के प्रावधान के आलोक में होगा। लाईसेंस विद्युत ठेकेदार के द्वारा विद्युत अधिष्ठापन किया जाएगा। मुख्य रूप से अलग नली में वायरिंग, अलग सर्किट, स्वचालित सर्किट ब्रेकर, मास्टर स्वीच, इंसपेक्शन पैनल दरवाजा, आपातकालीन/वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति का आवधिक सत्यापन आदि पर ध्यान दिया जाएगा।

(viii) भवन का अधिवास प्राप्त करने के बाद प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार नियमित रूप से फायर एक्जीट ड्रिल किया जाना चाहिए।

(ix) अग्नि सुरक्षा अधिकारी-एन0बी0सी0 2016 और बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के अनुसार।

(x) भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों आदि का ए0एम0सी0 योग्य फर्म या व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।

(xi) स्थापित नियम के आलोक में भवन के सेट बैक का चेकिंग वास्तुविद/पारित करने वाले द्वारा किया जाएगा।

(xii) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिशों का पालन नहीं करने की स्थिति में भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी विवाद के मामले में, जिम्मेवारी डेवलपर्स/वास्तुविद/जमीन मालिक पर होगी एवं किसी भी सरकारी प्राधिकार (जैसे कि राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना) की नहीं होगी।

(xiii) इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय (अर्थात राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी) का कार्यालय उस भूमि के किसी भी कानूनी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं है, जिसपर प्रस्तावित भवन का निर्माण होगा।

(7) अनिवार्यतः अन्डरटेकिंग्स के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।

(8) इसे औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र माना जाएगा। उपरोक्त सभी अग्नि एवं जीवन सुरक्षा अनुशंसाओं के अनुपालन के बाद आवश्यक निरीक्षण एवं अधिष्ठापन के जाँच हेतु राज्य अग्निशमन कार्यालय को सूचित करना होगा। सभी बिन्दुओं की जाँच से संतुष्टि के बाद अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

(9) अनुमोदित भवन योजना में बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार का विचलन या परिवर्तन किये जाने की स्थिति में इस औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

(10) हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ नक्शा वापस किया जाता है।

अनुलग्नक:-

- 1) मे0 वास्तुविद, सुधेन्दु रंजन
- 2) अध्यक्ष, नगर निगम, पटना


निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

Adarsh Vihar Buildtech Private Limited

TILKAMANJHI. (NEAR SHEELA VIBHA BHAWAN), BHAGALPUR - 812001
Mobile No. : 9472470652

Ref. No.

Date.....

DECLARATION

For Past Projects

I, Amitesh Kumar; in my capacity as Director of M/s Adarsh Vihar Buildtech Private Limited, do hereby solemnly declare, undertake and state as under:

That, we adhere to the Rules of Real Estate Regulation & Development Act, 2016, made there under for project completion. And, the projects executed/launched by us in the past 5 years are as given below:

- Project Name:** SAMRIDHI TOWER RERA Bihar Registered Project Bearing RERA registration No.- BRERAP00751-1/546/R-421/2019.
Project Status- Completed (Completion Certificated Attached).
Any delay in its completion- No Delay
Details of cases pending- No Any Case Pending
Payment pending if any- No any Payment Pending

Declarant

Adarsh Vihar Buildtech Pvt. Ltd.

Amitesh Kumar
Director

Adarsh Vihar Buildtech Private Limited

TILKAMANJHI. (NEAR SHEELA VIBHA BHAWAN). BHAGALPUR - 812001

Mobile No. : 9472470652

Ref. No.

Date.....

To,

The Chairperson,
Real Estate Regulatory Authority,
Bihar, Patna

Sub:- Details of Architect, Structural Engineer, Contractor and Agent.

Respected Sir,

This is to inform you that the Details of Architect, Structural Engineer, Contractor and Agent for our Project- **Baidyanath Tower**, Promoter- **Adarsh Vihar Buildtech Private Limited.**, mentioned below:

1. Architect

Name- Ar Rajeev Kumar
Red No.- BMC/ARC/09/2009

2. Structural Engineer

Name- Er Puspraj Bhushan Sinha
LIC No.- 9/2001

3. Contractor

Name- Self develop (Adarsh Vihar Buildtech Private Limited)
CIN- U45400BR2012PTC019040

4. Agent- NA

Yours Faithfully,

Adarsh Vihar Buildtech Private Limited

Adarsh Vihar Buildtech Pvt. Ltd.

Director


Director

Adarsh Vihar Buildtech Private Limited

TILKAMANJHI. (NEAR SHEELA VIBHA BHAWAN), BHAGALPUR - 812001

Mobile No. : 9472470652

Date.....

Ref. No.

DECLARATION

For Occupancy Certificate

I, Amitesh Kumar; in my capacity as Director of M/s Adarsh Vihar Buildtech Private Limited, do hereby solemnly declare, undertake and state as under:

That, we adhere to the Rules of Real Estate Regulation & Development Act, 2016, made there under for the project completion. In respect of the completion and occupancy certificates for the previous completed projects; I declare that

1. SAMRIDHI TOWER RERA Bihar Registered Project Bearing RERA registration No.- BRERAP00751-1/546/R-421/2019.

Project Status- Completed (Completion Certificated Attached)

Any delay in its completion- No Delay

Details of cases pending- No Any Case Pending

Payment pending if any- No any Payment Pending

Adarsh Vihar Buildtech Pvt. Ltd.


Director

Declarant

Adarsh Vihar Buildtech Private Limited

TILKAMANJHI, (NEAR SHEELA VIBHA BHAWAN), BHAGALPUR - 812001

Mobile No. : 9472470652

Ref. No.

Date.....

DECLARATION

Airport NOC for Project

I, Amitesh Kumar; in my capacity as Director of M/s Adarsh Vihar Buildtech Private Limited, do hereby solemnly declare, undertake and state as under:

That, we adhere to the Rules of Real Estate Regulation & Development Act, 2016, made there under for the project completion.

And, that for the project "**Baidyanath Tower**", the NOC from Airport Authority are not applicable since, the height of the building is less than 25m.

Declarant
Adarsh Vihar Buildtech Pvt. Ltd.

Amitesh Kumar
Director



Government of India
Form GST REG-06
[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number :10AALCA5463B1Z7

1.	Legal Name	ADARSH VIHAR BUILDTECH PRIVATE LIMITED			
2.	Trade Name, if any	Adarsh Vihar Buildtech Private Limited			
3.	Constitution of Business	Public Limited Company			
4.	Address of Principal Place of Business	TILKAMANJI, BHAGALPUR, BHAGALPUR, Bhagalpur, Bihar, 812001			
5.	Date of Liability	01/07/2017			
6.	Period of Validity	From	01/07/2017	To	NA
7.	Type of Registration	Regular			
8.	Particulars of Approving Authority				
Signature					
Name					
Designation					
Jurisdictional Office					
9. Date of issue of Certificate		26/09/2017			
Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.					

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the deemed approval of the application for registration

Adarsh Vihar Buildtech Pvt. Ltd.
Director



सत्यमेव जयते

Annexure A

GSTIN	10AALCA5463B1Z7
Legal Name	ADARSH VIHAR BUILDTECH PRIVATE LIMITED
Trade Name, if any	Adarsh Vihar Buildtech Private Limited

Details of Additional Places of Business

Total Number of Additional Places of Business in the State 0

Adarsh Vihar Buildtech Pvt. Ltd.
Amresh Kumar
Director



GSTIN 10AALCA5463B1Z7
Legal Name ADARSH VIHAR BUILDTECH PRIVATE LIMITED
Trade Name, if any Adarsh Vihar Buildtech Private Limited

Details of Managing / Whole-time Directors and Key Managerial Persons

1		Name	SUBHASH KUMAR CHOUDHARY
		Designation/Status	DIRECTOR
		Resident of State	Bihar
2		Name	AMITESH KUMAR
		Designation/Status	DIRECTOR
		Resident of State	Bihar

Adarsh Vihar Buildtech Pvt. Ltd.
Amitesh Kumar
Director



13 Date 21.2.23

Affidavit-cum-Declaration

For Source Of Fund

I, Amitesh Kumar, Resident of S/O Sri Subhash Chandra Yadav, Swami Vivekanand Path Budha Nath Thana, Jogsar, Aadampur, Dist- Bhagalpur, Bihar; in my capacity as Director of M/s Adarsh Vihar Buildtech Private Limited, Promoter of the project "Baidyanath Tower" do hereby solemnly declare, undertake and state as under:

That, sources of finance equivalent to ten percent i.e Rs, 56,00,000 of the total estimated development value i.e Rs, 56,00,00,000/- of the project to take up the initial development work of the project is Director of the firm Investments.



Declarant
Adarsh Vihar Buildtech Pvt. Ltd.

Amitesh Kumar
Director

Sri/Smt
Who is identified by
Advocate Solemnly Affirmed
Declared before me

Amitesh Kumar
P. K. Singh
21.2.23
Pawan Kr. Singh
NOTARY BHAGALPUR

GOVT. OF BIHAR

YL 0006757077

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

DATE & TIME :

21-FEB-2023 11:38:14

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER:

THE BHAGALPUR CENTRAL CO-OPERATIVE BANK
LTD.

LOCATION:

Civil Court BHAGALPUR

NAME OF LITIGANT :

AMITESH KUMAR

e-COURT RECEIPT NO :

BRCT2110B2338L151

e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 100

(Rupees One Hundred Only)



BRCT2110B2338L151

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcllstamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

Adarsh Vihar Buildtech Private Limited

TILKAMANJHI, (NEAR SHEELA VIBHA BHAWAN), BHAGALPUR - 812001

Mobile No. : 9472470652

Ref. No.

Date.....

DECLARATION

For Past Projects in other capacities

I, Subhash Kumar Choudhary; in my capacity as Director of M/s Adarsh Vihar Buildtech Private Limited, do hereby solemnly declare, undertake and state as under:

That, we adhere to the Rules of Real Estate Regulation & Development Act, 2016, made there under for project completion. I declare that No any projects taken up by me in other capacities, either individually or as part of other entities, during the last five years:

Declarant
Adarsh Vihar Buildtech Pvt. Ltd.


Director

Adarsh Vihar Buildtech Private Limited

TILKAMANJHI. (NEAR SHEELA VIBHA BHAWAN), BHAGALPUR - 812001

Mobile No. : 9472470652

Ref. No.

Date.....

DECLARATION

For Past Projects in other capacities

I, Amitesh Kumar; in my capacity as Director of M/s Adarsh Vihar Buildtech Private Limited, do hereby solemnly declare, undertake and state as under:

That, we adhere to the Rules of Real Estate Regulation & Development Act, 2016, made there under for project completion. I declare that No any projects taken up by me in other capacities, either individually or as part of other entities, during the last five years:

Declarant

Adarsh Vihar Buildtech Pvt. Ltd.

Amitesh Kumar
Director



A.K. MISHRA & ASSOCIATES
Chartered Accountants

GURUDWARA ROAD,
BHAGALPUR, BIHAR- 812001
Contact no. : +919934716672
Email :anandsalarpuria@gmail.com

To,

The Authorised Officer,
Real Estate Regulatory Authority,
Bihar, Patna

Sub:- Clarification on "No Advance from customers"

Respected Sir,

This is to inform you that the promoter- **Adarsh Vihar Buildtech Private Limited.** has not received any amount against booking of Flats in Project- **Baidyanath Tower.** Situated at Roy Hari Mohan Thakur Road, Thana- Barari, Dist- Bhagalpur, In Ward No.- 28, Holding No.- 24, 24C, 24B, Khata No.- 411, Khesra No.- 670, KA, KHA, G, GH, CH, Dist- Bhagalpur, Under Bhagalpur Municipal Corporation, Bhagalpur, Bihar;

For A. K. Mishra & Associates

Date:07-02-2023

Chartered Accountants

Place: Bhagalpur

Udin: 23405098BGWUQM6234

Anand Kumar Salarpuria
Anand Kumar Salarpuria

(Partner)

(M. S. No. 405098)

